<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 01/2016 (राजसमन्द आर्डर)</u>

1. श्री रामसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री दीपसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

.... अपीलान्ट्स

<u>बनाम</u>

1. श्री पदमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जी राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री राजसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जी राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री अरूण कुमार मिश्रा पिता रामसेवक जी मिश्रा निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री रामसिंह पिता तख्तसिंह जी राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द
6. श्रीमान उप पंजीयक आमेट जिला राजसमन्द
7. श्रीमान् उप पंजीयक सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द
8. श्री पटवारी पटवार हल्का घोसुन्डी तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) आमेट दिनांक 23–12–2015
प्रकरण संख्या 109/2015 प्रार्थना पत्र

––––

उपस्थित :–1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या– 5 से 8

–––––/–––––

निर्णय **दिनांक 11–07–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या–1 वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/सह–खातेदार है। इस वादग्रस्त आराजीयात का पक्षकारान के पूवाधिकारियों के मध्य आपसी विभाजन होकर उसी अनुसार काबिज है तथा प्रार्थीगण ने अपने हिस्से में आई भूमियों को विकसीत किया है। परन्तु विपक्षीगण के मन में बदनियति आ जाने से अब वे बिना विधिवत विभाजन विक्रय करना चाह रहे है। अतएव उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाय।

अपीलान्ट विपक्षी द्वारा खण्डन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 392 में विपक्षी संख्या–1 का 1/2 तथा विपक्षी संख्या–2 का 1/6 हिस्सा तथा प्रार्थीगण का 417/2100वां व विपक्षी संख्या–3 का 283/2100वां हिस्सा है। विपक्षी संख्या–3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा अंकित है। रामसिंह पिता तख्त सिह कोई व्यक्ति नहीं है। पूर्व में कोई बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण स्वयं क्रेता है। प्रार्थीगण अजनबी क्रेता पैतृक भूमियों में दखलन्दाजी कर रहे है। विशेष कथन में कहा कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या–3 आपस में मिले होकर अजनबी क्रेता को रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध हस्तानान्तरण नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में अन्य किसी पक्षकार का जवाब नहीं होने के कारण तथा विपक्षी संख्या 4 व 5 का जवाब बन्द होकर तथा विपक्षी संख्या–3 के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही का आदेश होकर उभयपक्षों को सुनने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–12–2015 से विपक्षीगण को विवादित भूमियों को विक्रय, दान, हस्तान्तरण नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 5–2–2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 8 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा लिए गये प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट सह–खातेदार है तथा प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 अजनबी क्रेता है। सह–खातेदार को अपनी भूमि विक्रय करने से नहीं रोका जा सकता।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तत्वों प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त पर विचार किये बिना रेकार्डेड सह–खातेदार को अपने हक अधिकारों की भूमि का हस्तान्तरण, विक्रय, बक्षीश, इत्यादि नहीं करने को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध है तथा किसी भी हिस्सेदार को उसके अविवादित हिस्से को विक्रय करने से नहीं रोका जा सकता।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–12–2015 अपास्त किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11–07–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर